

**कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन**  
**सतपुड़ा भवन, भोपाल – 462004**

क्रमांक 794 / 233 / आउशि / गो.प्र. / 09,

भोपाल, दिनांक 03.08.2009

**// आदेश //**

विषय:- **रसायनशास्त्र** विषय के सहायक प्राध्यापकों का **वरिष्ठ** श्रेणी वेतनमान में स्थानन।  
संदर्भ:- उच्च शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक 3305/38-1/88 दिनांक 3/8 नवम्बर 1988, क्रमांक एफ-7/ए-8/38 दिनांक 6.4.89, क्रमांक 326/38-1 दिनांक 17.1.90, क्रमांक एफ 7-1/ए-1/38 दिनांक 10.12.92, क्रमांक एफ-7/87/ए-1/38 दिनांक 2.3.98, क्रमांक एफ-1/233/99/38-1/99, दिनांक 11.10.9, क्रमांक एफ-1(01)/1-38, दिनांक 5.4.05 एवं क्रमांक एफ-1(43)/2005/1-38, दिनांक 29.9.08.

-0-

शासन के आदेशानुसार **रसायनशास्त्र** विषय के निम्नलिखित सहायक प्राध्यापकों को उनके नाम के समक्ष दर्शित तिथि से **वरिष्ठ** वेतनमान रुपये **3000-100-3500- 125-5000/10000-325-15200** में स्थानन किया जाता है :-

**विषय – रसायनशास्त्र**

क्रमांक	पिन नम्बर	सहायक प्राध्यापक का नाम	महाविधालय का नाम	पात्रता दिनांक
01	3010489	श्री संजय सिंह परिहार	शासकीय विज्ञान महाविधालय,रीवा	24. 12. 2004
02	3010547	डॉ० सुनीता फडनीस	शासकीय पी.जी कन्या महाविधालय,मोतीतबेला इंदोर	01. 04. 2004

प्राचार्य संबंधित सहायक प्राध्यापक का वेतन निर्धारण इस आदेश के अनुसार निर्धारित करें तथा इस हेतु वचन-पत्र संबंधी प्रावधान का भी पालन सुनिश्चित करें।

**नोट:-**

7. जिन सहायक प्राध्यापकों का 01.01.1996 के पूर्व **वरिष्ठ** श्रेणी वेतनमान में स्थानन किया गया है उन्हें रुपये **3000-5000** में वेतन निर्धारण की कार्यवाही की जावेगी।
8. यदि किसी सहायक प्राध्यापक के विरुद्ध विभागीय जाँच/लोकायुक्त जाँच/आर्थिक अपराध जाँच या अन्य कोई भी जाँच संस्थित है तो ऐसे प्रकरणों में वेतन निर्धारण की कार्यवाही न करते हुए तत्काल इस संबंध में जानकारी आयुक्त, उच्च शिक्षा को भेजें।
9. यदि किसी सहायक प्राध्यापक द्वारा वेतनमान के संबंध में न्यायालयीन प्रकरण दायर किया है तो संबंधित सहायक प्राध्यापक से लिखित में सहमति प्राप्त कर वेतन निर्धारण की कार्यवाही की जावे अथवा उसके प्रकरण को न्यायालयीन निर्णय आने तक लंबित रखते हुए उसकी जानकारी तत्काल आयुक्त, उच्च शिक्षा को भेजी जावे।

उपरोक्त का पालन सुनिश्चित किया जावे अन्यथा संबंधित प्राचार्य इसके लिये जवाबदार होंगे।

(आशीष उपाध्याय)

आयुक्त

उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

पृ.क्र. 795 / 233 / आउशि / गो.प्र. / 09,  
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 03.08.2009

1. माननीय मंत्रीजी, उच्च शिक्षा के निज सचिव ।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल ।
3. निज सचिव, आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश, भोपाल ।
4. महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर ।
5. समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश ।
6. संबंधित प्राचार्य ।
7. संबंधित जिला कोषालय अधिकारी ।
8. संबंधित सहायक प्राध्यापक ।
9. संबंधित के गोपनीय फोल्डर में रखने हेतु ।

आयुक्त  
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन  
सतपुड़ा भवन, भोपाल – 462004

क्रमांक 796 / 233 / आउशि / गो.प्र. / 09,

भोपाल, दिनांक 03.08.2009

// आदेश //

विषय:— **रसायनशास्त्र** विषय के सहायक प्राध्यापकों का **प्रवर** श्रेणी वेतनमान में स्थानन।

संदर्भ:— उच्च शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक 3305/38-1/88 दिनांक 3/8 नवम्बर 1988, क्रमांक एफ-7/ए-8/38 दिनांक 6.4.89, क्रमांक 326/38-1 दिनांक 17.1.90, क्रमांक एफ 7-1/ए-1/38 दिनांक 10.12.92, क्रमांक एफ-7/87/ए-1/38 दिनांक 2.3.98, क्रमांक एफ-1/233/99/38-1/99, दिनांक 11.10.9, क्रमांक एफ-1(01)/1-38, दिनांक 5.4.05 एवं क्रमांक एफ-1(43)/2005/1-38, दिनांक 29.9.08.

-0-

शासन के आदेशानुसार **रसायनशास्त्र** विषय के निम्नलिखित सहायक प्राध्यापकों को उनके नाम के समक्ष दर्शित तिथि से **प्रवर** वेतनमान रूपये **3700-5700 / 12000-420-18300** में स्थानन किया जाता है:—

विषय — **रसायनशास्त्र**

क्रमांक	पिन नम्बर	सहायक प्राध्यापक का नाम	महाविद्यालय का नाम	पात्रता दिनांक
01	3010321	श्रीमती नीलिमा प्रधान	शासकीय होल्कर विज्ञान महाविद्यालय, इंदौर	28. 10. 2004
02	3010605	डॉ० विनीता अग्रवाल	शासकीय के.आर.जी. महाविद्यालय, ग्वालियर	24. 12. 2007
03	3010053	डॉ० अनिता तिवारी	शासकीय आदर्श विज्ञान महाविद्यालय, रीवा	24. 12. 2007

प्राचार्य संबंधित सहायक प्राध्यापक का वेतन निर्धारण इस आदेश के अनुसार निर्धारित करें तथा इस हेतु वचन-पत्र संबंधी प्रावधान का भी पालन सुनिश्चित करें।

**नोट:—**

1. जिन सहायक प्राध्यापकों का 1.1.96 के पूर्व **प्रवर** श्रेणी वेतनमान में स्थानन किया गया है उन्हें रूपये **3700-5700** में वेतन निर्धारण की कार्यवाही की जावेगी।
2. यदि किसी सहायक प्राध्यापक के विरुद्ध विभागीय जॉच/लोकायुक्त जॉच/आर्थिक अपराध जॉच या अन्य कोई भी जॉच संस्थित है तो ऐसे प्रकरणों में वेतन निर्धारण की कार्यवाही न करते हुए तत्काल इस संबंध में जानकारी आयुक्त, उच्च शिक्षा को भेजें।
3. यदि किसी सहायक प्राध्यापक द्वारा वेतनमान के संबंध में न्यायालयीन प्रकरण दायर किया है तो संबंधित सहायक प्राध्यापक से लिखित में सहमति प्राप्त वेतन निर्धारण की कार्यवाही की जावे अथवा उसके प्रकरण को न्यायालयीन निर्णय आने तक लंबित रखते हुए उसकी जानकारी तत्काल आयुक्त, उच्च शिक्षा को भेजी जावे।

उपरोक्त का पालन सुनिश्चित किया जावे अन्यथा संबंधित प्राचार्य इसके लिये जवाबदार होंगे।

(आशीष उपाध्याय)

आयुक्त  
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

पृ.क्र. 797 / 233 / आउशि / गो.प्र. / 09,  
प्रतिलिपि:—

भोपाल, दिनांक 03.08.2009

1. माननीय मंत्रीजी, उच्च शिक्षा के निज सचिव ।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल ।
3. निज सचिव, आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश, भोपाल ।
4. महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर ।
5. समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश ।
6. संबंधित प्राचार्य ।
7. संबंधित जिला कोषालय अधिकारी ।
8. संबंधित सहायक प्राध्यापक ।
9. संबंधित के गोपनीय फोल्डर में रखने हेतु ।

आयुक्त  
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन  
सतपुड़ा भवन, भोपाल – 462004

क्रमांक 798/233/आउशि/गो.प्र./09,

भोपाल, दिनांक 03.08.2009

// आदेश //

विषय:- **रसयान शास्त्र** विषय के सहायक प्राध्यापकों का **प्रवर** श्रेणी वेतनमान में स्थानन की तिथि में संशोधन।

संदर्भ:- उच्च शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक 3305/38-1/88 दिनांक 3/8 नवम्बर 1988, क्रमांक एफ-7/ए-8/38 दिनांक 6.4.89, क्रमांक 326/38-1 दिनांक 17.1.90, क्रमांक एफ 7-1/ए-1/38 दिनांक 10.12.92, क्रमांक एफ-7/87/ए-1/38 दिनांक 2.3.98, क्रमांक एफ-1/233/99/38-1/99, दिनांक 11.10.9, क्रमांक एफ-1(01)/1-38, दिनांक 5.4.05 एवं क्रमांक एफ-1(43)/2005/1-38, दिनांक 29.9.08.

-0-

शासन के आदेशानुसार **रसयान शास्त्र** विषय के निम्नलिखित सहायक प्राध्यापकों को उनके नाम के समक्ष दर्शित तिथि से **प्रवर श्रेणी वेतनमान** रुपये **3700-5700/12000-420-18300** में स्थानन तिथि में संशोधन किया जाता है :-

**विषय – रसयान शास्त्र**

स. क्र.	पिन नम्बर	सहायक प्राध्यापक का नाम एवं महाविद्यालय का नाम	प्रवर श्रेणी वेतनमान में संशोधन	
			पूर्व में घोषित दिनांक	संशोधित दिनांक
01	3010359	श्रीमती परविन्दर कौर खनूजा, शा.एस.एन.पी.जी.महाविद्यालय, खंडवा	11.03.2005	19.07.2004

प्राचार्य संबंधित सहायक प्राध्यापक का वेतन निर्धारण इस आदेश के अनुसार निर्धारित करें तथा इस हेतु वचन-पत्र संबंधी प्रावधान का भी पालन सुनिश्चित करें।

**नोट:-**

1. जिन सहायक प्राध्यापकों का 1.1.96 के पूर्व **प्रवर** श्रेणी वेतनमान में स्थानन किया गया है उन्हें रुपये **3700-5700** में वेतन निर्धारण की कार्यवाही की जावेगी।
2. यदि किसी सहायक प्राध्यापक के विरुद्ध विभागीय जाँच/लोकायुक्त जाँच/आर्थिक अपराध जाँच या अन्य कोई भी जाँच संस्थित है तो ऐसे प्रकरणों में वेतन निर्धारण की कार्यवाही न करते हुए तत्काल इस संबंध में जानकारी आयुक्त, उच्च शिक्षा को भेजें।
3. यदि किसी सहायक प्राध्यापक द्वारा वेतनमान के संबंध में न्यायालयीन प्रकरण दायर किया है तो संबंधित सहायक प्राध्यापक से लिखित में सहमति प्राप्त वेतन निर्धारण की कार्यवाही की जावे अथवा उसके प्रकरण को न्यायालयीन निर्णय आने तक लंबित रखते हुए उसकी जानकारी तत्काल आयुक्त, उच्च शिक्षा को भेजी जावे।

उपरोक्त का पालन सुनिश्चित किया जावे अन्यथा संबंधित प्राचार्य इसके लिये जवाबदार होंगे।

(आशीष उपाध्याय)

आयुक्त

उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

पृ.क्र. 799/233/आउशि/गो.प्र./09,  
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 03.08.2009

1. माननीय मंत्रीजी, उच्च शिक्षा के निज सचिव ।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल ।
3. निज सचिव, आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश, भोपाल ।
4. महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर ।
5. समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश ।
6. संबंधित प्राचार्य ।
7. संबंधित जिला कोषालय अधिकारी ।
8. संबंधित सहायक प्राध्यापक ।
9. संबंधित के गोपनीय फोल्डर में रखने हेतु ।

आयुक्त  
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश